राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
जन संपर्क विभाग, प्रधान कार्यालय,बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई - 400 051
NABARD

प्रेस विज्ञप्ति

मुंबई
27 अप्रैल 2011

वर्ष 2010-11 के दौरान नाबार्ड का कार्यनिष्पादन

वर्ष 2010-11 के दौरान नाबार्ड की वित्तीय और विकासात्मक पहलों ने महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है. पहले की तरह नाबार्ड ने सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, वाणिज्य बैंकों, राज्य सरकारों, केंद्र सरकार, गैर सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों और राष्ट्रीय, राज्य और ग्रामीण स्तर के अन्य औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठनों जैसे अपने साझेदारों और ग्राहकों को सहायता प्रदान करना जारी रखा.

वित्तीय परिणाम :

- नाबार्ड की औसत आस्तियाँ 31 मार्च 2010 को ₹1,36,292 करोड़ के समक्ष बढ़कर 31 मार्च 2011 को ₹1,59,147 करोड़ हो गईं.

- नाबार्ड द्वारा अपने पोर्टफोलियो के तीन प्रमुख संवर्गों के अंतर्गत प्रदान की गई ऋण सहायता निम्नानुसार है :

i. **उत्पादन ऋण (या फसल ऋण)** :

वर्ष 2010-11 के दौरान सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (क्षेग्रा बैंक) को वर्ष 2009-2010 के दौरान प्रदान किए गए ₹24,216 करोड़ (अधिकतम बकाया के अनुसार) उत्पादन ऋण के समक्ष वर्ष 2010-11 के दौरान ₹33,400 करोड़ का उत्पादन ऋण प्रदान किया गया.

ii. **पूँजी निर्माण के लिए निवेश ऋण** :

कृषि और सहायक क्षेत्रों, गैर-कृषि क्षेत्र गतिविधियों और सेवा क्षेत्र से वाणिज्यिक बैंकों, क्षेग्रा बैंकों और सहकारी बैंकों को पूँजी निर्माण के लिए वर्ष 2009-10 में ₹12,036 करोड़ के समक्ष वर्ष 2010-11 के दौरान ₹13,500 करोड़ का निवेश ऋण दिया गया.

iii. **ग्रामीण आधारभूत ऋण** :

वर्ष 2009-10 के दौरान राज्य सरकारों को मंजूर ₹15,630 करोड़ के समक्ष वर्ष 2010-11 के दौरान ₹18,315 करोड़ मंजूर किए गए. राज्य सरकारों द्वारा वर्ष

2009-10 में किए गए निधियों के उपयोग ₹12,388 करोड़ की तुलना में वर्ष 2010-11 के दौरान ₹12,060 करोड़ इतना कम हुआ. राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न कारणों के लिए ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के तहत राशियाँ आहरित करने की असमर्थता के कारण ऐसा हुआ.

विकासात्मक पहलें

वर्ष 2010-11 के दौरान नाबार्ड द्वारा अपने साझेदारों और ग्राहकों को बृहद और विभिन्न प्रकार की विकासात्मक सहायता प्रदान की गई. प्रमुख पहलों में से कुछ निम्नानुसार हैं :

वाटरशेड विकास

नाबार्ड नियमित आजिविकाओं और कम हुए रोजगार के पुनर्निर्माण के लिए अपनी वाटरशेड विकास परियोजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है. नाबार्ड ने वर्ष 2010-11 के दौरान ₹152 करोड़ की राशि प्रदान की, जबकि वर्ष 2009-10 के दौरान ₹152 करोड़ की राशि प्रदान की गयी थी. 31 मार्च 2011 को 1605 परियोजनाओं के लिए ₹549 करोड़ की संचयी सहायता प्रदान की गई. उक्त परियोजना के कारण 1.6 हेक्टेयर भूमि या 12.84 लाख आबादी को लाभ हुआ.

जलवायु परिवर्तन को अनुकूल बनाना

नाबार्ड द्वारा जनवरी 2011 में अहमदनगर जिले के अकोला और संगमनेर तालुका में जलवायु परिवर्तन को अनुकूल बनाने संबंधी ₹23.36 करोड़ के परिव्यय के साथ नवोन्मेषी परियोजना आरंभ की गई. परियोजना का कार्यान्वयन वाटरशेड ऑर्गनाइजेशन ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है.

जनजाति विकास

नाबार्ड अपनी आदिवासी विकास निधि (टीडीएफ) के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए की जाने वाली विशेष पहलों को सहायता प्रदान करता है. वर्ष के दौरान 19 राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में 126 परियोजनाओं को ₹358 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिसमें 90038 परिवार शामिल थे. 31 मार्च 2011 को संचयी रूप से 317 परियोजनाएँ मंजूर की गईं और ₹207 करोड़ संवितरित किए गए. आदिवासी विकास निधि से अनुमानत: 2,46,368 आदिवासी परिवार लाभान्वित हुए हैं.

नवप्रवर्तन और प्रौद्योगिकी अंतरण

कृषि क्षेत्र में नवप्रवर्तनों और प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए नाबार्ड ने 45 करोड़ की सहायता के साथ 515 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की. कुछ पहलों के लिए सहायता प्रदान की गई, जो निम्नानुसार हैं :

- वर्ष के दौरान ₹0.87 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ 17 नॉटइको परियोजनाएँ मंजूर की गई.

- ₹22.35 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ 158 चावल सघनीकरण व्यवस्था (एसआरआई) कार्यक्रमों को मंजूर किया गया.

- टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाकर प्रमुख फसलों की उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से ₹15.41 करोड़ के परिव्यय के साथ इस प्रकार की 44 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई.

- प्रौद्योगिकी अंतरण और ऋण परामर्श के अंतर्गत 25 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई.

वर्ष के दौरान कृषि नवप्रवर्तन और प्रौद्योगिकी अंतरण के तहत सहभागी एजेंसियों ने नाबार्ड से कुल ₹36 करोड़ की अनुदान सहायता प्राप्त की.

स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम

31 मार्च 2011 को बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किए गए (`ऋण सहबद्ध' स्वयं सहायता समूह) स्वयं सहायता समूहों की संचयी संख्या 50 लाख हो गई, जिससे लगभग 70 मिलियन ग्रामीण परिवार लाभान्वित हुए. 72 लाख स्वयं सहायता समूहों के बचत खाते खोले जा चुके हैं, इससे लगभग 100 मिलियन परिवार लाभान्वित हुए.

सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी निधि (एमएफडीईएफ)

एमएफडीईएफ, गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, सुस्थापित स्वयं सहायता समूहों को आजीविका संवर्धन गतिविधियाँ तथा संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) के गठन के लिए सहायता प्रदान करता है.

वर्ष 2011-12 के केंद्रीय बजट में यह घोषणा की गई थी कि महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को प्रदान किए गए ऋणों पर पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए ₹500 करोड़ के कॉर्पस के साथ `महिला स्वयं सहायता समूह विकास निधि' का गठन किया जाएगा. इस निधि का परिचालन नाबार्ड द्वारा किया जाएगा, ताकि बैंक, महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को आसान शर्तों पर ऋण प्रदान कर सकें.

स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ना

नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूहों को बैंकों के साथ जोड़ने के लिए स्वयं सहायता संवर्धक संस्थाओं (एसएचपीआई) को अनुदान सहायता प्रदान करना जारी रखा. इस गतिविधि के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा वर्ष 2010-11 के दौरान 270 स्वयं सहायता संवर्धक संस्थाओं को 72,325 स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन और उन्हें बैंकों के साथ जोड़ने के लिए ₹36.45 करोड़ की अनुदान सहायता प्रदान की. इस मद के अंतर्गत लगभग 5,65,000 स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन के लिए संचयी रूप से ₹141.41 करोड़ का अनुदान मंजूर किया गया.

परिक्रामी निधि सहायता (आरएफए)

वंचित निर्धनों को आगे ऋण प्रदान करने के लिए सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को चयनित आधार पर परिक्रामी निधि सहायता प्रदान की गई. इस प्रकार की चयनित सहायता का उद्देश्य वैकल्पिक ऋण वितरण व्यवस्था में नवीनता लाने के लिए विभिन्न सूक्ष्म वित्त मॉडलों का परीक्षण करना और साथ ही उनकी दीर्घकालिकता तथा किस तरह उन्हें दोहराया जा सके, इसके लिए विचारणीय बिंदु तैयार करना है. वर्ष 2010-11 के दौरान 16 एजेंसियों के लिए ₹14.09 की परिक्रामी निधि सहायता

को मंजूरी प्रदान की गई थी. वर्ष के दौरान 9 सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को ₹2.53 करोड़ पूँजी सहायता भी मंजूर की गई थी.

संसाधनों से वंचित क्षेत्रों में पहलें - प्रियदर्शनी परियोजना

"मध्य गंगा के मैदानी इलाकों में ग्रामीण महिला सशक्तिकरण और आजीविका" के लिए "प्रियदर्शनी" नामक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश और बिहार के चयनित जिलों में आरंभ किया जा चुका है. संसाधन और फील्ड स्तरीय गैर सरकारी संगठनों को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और प्रारंभिक कार्यशाला का आयोजन शीघ्र ही किया जाएगा.

- **संयुक्त देयता समूह**

वर्ष 2010-11 के दौरान काश्तकार किसानों, बटाईदारों, लघु और सीमांत किसानों और गैर कृषि क्षेत्र गतिविधियों से जुड़े उद्यमियों के संयुक्त देयता समूहों के संवर्धन और वित्तपोषण को एक अभियान के तौर पर लिया गया था. वर्ष 2010-11 के दौरान 1,17,500 स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन के लिए विभिन्न बैंकों और अन्य एजेंसियों को ₹23.24 करोड़ की संवर्धनात्मक अनुदान सहायता मंजूर की गई थी. संयुक्त देयता समूहों के गठन की प्रक्रिया चल रही है और 31 मार्च 2011 तक 85,766 संयुक्त देयता समूहों का गठन किया गया है.

- **किसान क्लब**

वर्ष 2010-11 के दौरान विभिन्न एजेंसियों द्वारा नाबार्ड की सहायता से 21,903 किसान क्लबों की शुरुआत की गई. 31 मार्च 2011 तक इस प्रकार के क्लबों की कुल संख्या लगभग 76,708 हो गई है.

- **किसानों को ब्याज में राहत**

किसानों को ऋण की चुकौती समय पर करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2010-11 के दौरान ब्याज सहायता योजना जारी रही. ऋण की समय पर चुकौती के लिए भारत सरकार ने ब्याज में 2% राहत प्रदान की. सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए इस योजना के कार्यान्वयन का कार्य नाबार्ड द्वारा किया गया. इस प्रयास से देश (2009-10)के 3 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ होने का अनुमान है.

- **किसान क्रेडिट कार्ड**

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंकों (वाणिज्य बैंकों सहित) द्वारा किसानों को 44.57 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए. योजना की शुरुआत से किसान क्रेडिट कार्डों की संचयी संख्या 9.81 करोड़ हो गई.

संस्थागत विकास सहयोग

- वर्ष 2009-10 के दौरान 49,764 पैक्स के लिए ₹7,972.22 करोड़ की पुन:पूँजीकरण सहायता जारी की गई थी, जिसके समक्ष 53,380 पैक्स को ₹8,661.45 करोड़ की वित्तीय सहायता जारी की गई. कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए कुल पैक्स में से 66.61% (वर्ष 2009-10 तक 62%) पैक्स को पूरी तरह पूँजीकृत किया जा चुका है.

- नाबार्ड द्वारा किए गए निरीक्षणों के निष्कर्षों और उसके बाद की गई अनुपालना से बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 11(1) का पालन न करने वाले सहकारी बैंकों की संख्या घटकर 88 से 68 रह गयी.

- 31.3.2011 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 31 में से 24 राज्य सहकारी बैंकों और 371 जिमस बैंकों में से 221 रास बैंकों को लाइसेंस मंजूर किए गए.

वित्तीय समावेशन की मुख्य-मुख्य बातें

- वर्ष 2010-11 के दौरान वित्तीय समावेशन के प्रयासों के अंतर्गत ₹120.10 करोड़ की 205 परियोजनाएँ मंजूर की गईं, जबकि वर्ष 2009-10 के दौरान ₹41 करोड़ की 47 परियोजनाएँ मंजूर की गई थीं.

- 6 पूर्वोत्तर राज्यों में दूरदर्शन के माध्यम से वित्तीय साक्षरता अभियान आरंभ किया गया.

नैबकॉन्स

नाबार्ड कन्सल्टन्सी सर्विसेस (नैबकॉन्स), नाबार्ड की सहायक कंपनी है, जिसकी स्थापना व्यापक स्तर पर ग्राहकों को परामर्श देने के लिए की गई है. कंपनी ने वर्ष 2010-11 के दौरान ₹23.35 करोड़ के कार्यों के लिए करार किए, जबकि पिछले वर्ष ₹17.11 करोड़ के लिए करार किए गए थे. इसमें 36% की वृद्धि दर्ज की गई. कंपनी ने अपने लाभों में पिछले वर्ष के ₹433 लाख के मुकाबले इस वर्ष ₹618 लाख अर्थात् 43% की वृद्धि रिकार्ड की.

****

अतिरिक्त जानकारी के लिए सहायक महाप्रबंधक, जनसंपर्क से संपर्क करें.
टेलि. : 26539746, मो-9967643590